कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक का विवरण

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 23.05.2017 को सांय 4.00 बजे एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक में मैसर्स–मुश्ताक खान कॉन्ट्रेक्टर राजमहल देवली द्वारा अनुबन्ध संख्या 16/1996–97 के अन्तर्गत संवेदक फर्म को आवंटित कार्य **Growing and Maintenance of the Plants for extensive plantation along RMC RD (-) 480 M to 3000 M of Bisalpur Irrigation Project** के क्लॉज 23 के तहत् प्रस्तुत क्लेम्स पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :

1. श्री लोकेश तिवाड़ी — संयुक्त विधि परामर्शी, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री जाकिर हुसैन — संयुक्त शासन सचिव प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. श्री गिरिश लोढा — अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता मुख्यालय एवं आई टी, अधिकृत प्रतिनिधि अतिरिक्त शासन सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री दिनेश कुमार — अधीक्षण अभियन्ता एवं तक0सहा0 एवं अधिकृत प्रतिनिधि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, जयपुर।

अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली प्रतिपक्ष की ओर से उपस्थित हुए तथा क्लेमेन्ट की ओर से श्री मुश्ताक खान प्रो0 मैसर्स–मुश्ताक खान कॉन्ट्रेक्टर राजमहल देवली की ओर से उपस्थित हुए।

अनुबन्ध के क्लॉज 23 के अन्तर्गत मैसर्स– मुश्ताक खान कॉन्ट्रेक्टर राजमहल देवली द्वारा पूर्व में क्लेम कार्य **Growing and Maintenance of the Plants for extensive plantation along RMC RD (-) 480 M to 3000 M of Bisalpur Irrigation Project** में प्रस्तुत क्लेम्स पर एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 11.06.2010 को आयोजित की गई थी, जिसमें संवेदक की ओर से उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री एस.के. कटियार उपस्थित हुए। अतः कमेटी द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों एवं अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया था।

संवेदक द्वारा पूर्व में कमेटी द्वारा लिए गये निर्णय दिनांक 11.06.2010 के विरूद्ध माननीय जिला न्यायालय टोंक में वाद संख्या 87/2010 दायर किया गया, जिस पर माननीय जिला न्यायालय टोंक द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.04.2017 के द्वारा पूर्व में कमेटी द्वारा लिए गये निर्णय दिनांक 11.06.2010 को निरस्त करते हुए पुनः एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर संवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय करने हेतु आदेशित किया गया। माननीय जिला न्यायालय टोंक के निर्णय दिनांक 01.04.17 की पालना में एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी की पुनः बैठक दिनांक

23.05.2017 को आयोजित की गई। कमेटी द्वारा संवेदक को कमेटी के समक्ष क्लेम के संबंध में प्रस्तुत दावों एवं रिकार्ड एवं विभाग की ओर से अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली के प्रस्तुत दावों के संबंध में विभागीय पक्ष रखा गया, जो कि निम्नानुसार हैं :

Claim No. 1 :-Amount of final bill including maintenance of plants beyond stipulated date of completion and extra lead of water for additional plants (Rs. 17,30,724/-)

क्लेमेन्ट द्वारा प्रस्तुत क्लेम में यह मांग की गई कि किये गये कार्य के अतिरिक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् पौधों की देखरेख एवं कार्य के उपयोग में लिए गये जल की अतिरिक्त लीड के रूप में राशि का भुगतान परिशिष्ठ–18 के अनुसार किया जावें।

अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली द्वारा कमेटी को अवगत करवाया गया कि संवेदक को कार्य के अनुबन्ध के तहत् 3000 पौधे लगाकर निर्धारित ऊचाई प्राप्त करने के पश्चात् विभाग को सुपुर्द किये जाने थे तथा विभाग द्वारा संवेदक से 1563 अतिरिक्त पौधे लगाये जाने का कार्य भी करवाया गया, जिनकी भी निर्धारित ऊचाई प्राप्त किये जाने के पश्चात् विभाग को सुपुर्द किया जाना था, जिसके लिए संवेदक को अतिरिक्त समय भी दिया गया था। संवेदक द्वारा विभाग को 10 वें रनिंग बिल दिनांक 12.07.1999 तक मात्र 1414 पौधे ही निर्धारित ऊचाई के उपलब्ध करवाये गये तथा शेष पौधे जिनकी ऊचाई निर्धारित ऊचाई से कम थी, विभाग को उपलब्ध करवाये गये। विभाग द्वारा संवेदक के किये गये अपूर्ण कार्य का अंतिम बिल 19.08.2001 को तैयार किया गया, जिसे संवेदक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। कार्य के अनुबन्ध में उपयोग में लिए गये जल की अतिरिक्त लीड का प्रावधान नहीं होने के कारण विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया। कार्य की जी शिड्यूल के अनुसार संवेदक को निर्धारित ऊंचाई के पौधे विभाग को सुपुर्द किये जाने में तथा कार्य की स्पेशल कण्डीशन 5 व 6 में स्पष्ट रूप से अंकित हैं कि कार्य हेतु उपयोग में आने वाले जल की व्यवस्था संवेदक द्वारा अपने स्तर पर ही की जानी थी।

संवेदक द्वारा प्रस्तुत दावों पर विभाग की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि संवेदक द्वारा प्रस्तुत क्लेम खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः कमेटी द्वारा क्लेम को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया तथा साथ ही कमेटी द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली को निर्देशित किया गया कि संवेदक द्वारा किये गये कार्य का अंतिम बिल अनुबन्ध के अनुसार तैयार कर संवेदक को भुगतान किया जावें।

CLAIM NO. 2:- Payment of escalation charges Rs. 2,58,494/-.

संवेदक द्वारा समयावधि के पश्चात् किये गये कार्य के मूल्यवृद्धि प्रभार का भुगतान अनुबन्ध के क्लॉज–45 के अनुसार संलग्न परिशिष्ठ–19 के अनुसार किया जावें।

अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली द्वारा कमेटी को अवगत करवाया गया कि इस कार्य पर अनुबन्ध के क्लॉज–45 के अनुसार मूल्यवृद्धि प्रभार लागू होता हैं, क्योंकि अनुबन्ध के क्लॉज–45 के अनुसार किये गये कार्य की लागत राशि रू0 1378957/– आती हैं तथा कार्य को पूर्ण किये जाने में 12 माह से अधिक का समय लगा हैं।

संवेदक द्वारा प्रस्तुत दावों एवं विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संवेदक को किये गये कार्य के अंतिम बिल की भुगतान राशि एवं कार्य की पूर्णता दिनांक तक का मूल्यवृद्धि प्रभार सक्षम स्तर से समयावधि प्रकरण नियमानुसार स्वीकृत करवाकर भुगतान किया जावें।

Claim No 3 :- Amount of refund S.D. Rs. 43,967/-.

संवेदक द्वारा रोकी गई सिक्योरिटी डिपोजिट राशि (एस डी) की मांग की गई।

अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली द्वारा कमेटी को अवगत करवाया गया कि अंतिम बिल का भुगतान किये जाने के पश्चात् किये गये कार्य के विरूद्ध रोकी गई राशि का भुगतान कर दिया जावेगा। कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि संवेदक को रोकी गई राशि का भुगतान कर दिया जावें।

Claim No 4 :- Interest on due payment Rs. 12,50,418/-.

संवेदक द्वारा अपने प्रस्तुत दावों पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज राशि का भुगतान किये जाने की मांग की गई ।

अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली द्वारा कमेटी को अवगत करवाया गया कि संवेदक को किसी भी प्रकार की ब्याज राशि का भुगतान देय नहीं हैं, क्योंकि प्रकरण में हुई समस्त देरी हेतु संवेदक स्वयं ही उत्तरदायी हैं।

कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि संवेदक द्वारा अपने पक्ष में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण क्लेम निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः कमेटी द्वारा क्लेम को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

(दिनेश कुमार) अतिरिक्त मुख्यअभियन्ता जलसंसाधन सम्भाग, जयपुर	(गिरिश लोढा) अतिरिक्त सचिव एव मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग राज0 जयपुर	(लोकेश तिवारी) संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि विधि विभाग राज0 जयपुर	(जाकिर हुसैन) संयुक्त शासन सचिव प्रतिनिधि वित्त विभाग राज0 जयपुर	(शिखर अग्रवाल) प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन राज0 जयपुर